

## कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 87 /स्था./2021/

दिनांक : 19.02.2021

:: आ दे श ::

राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(5)वित्त/नियम 2005 दिनांक 02.09.2016, कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.07.2017 द्वारा किये गए संशोधनों के फलस्वरूप श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)27/14/6301 दिनांक 26.08.2017 तथा पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)23/85/8207 दिनांक 09.11.2017 द्वारा भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के लिये जारी पदों के पुर्ननिर्धारण के आदेश में स्वीकृत शेरिस्तेदार ग्रेड प्रथम/रीडर ग्रेड-प्रथम के अभिनिर्धारित पदों पर उपरोक्त आदेशों/अधिसूचना/वित्त विभाग की स्वीकृति की पालना में भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में कार्यरत/सेवानिवृत्त/सेवा के दौरान मृतक निम्नांकित कर्मचारीगण को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से/अवधि तक दिनांक 01.04.2003 के पश्चात् समय-समय पर जारी किये गये अस्थाई तदर्थ पदोन्नति आदेशों को प्रभावशून्य/संशोधित/अतिलिखित कर वरीयता-सह-योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 01.04.2003 से वेतन श्रृंखला 5500-175-9000 (11) व दिनांक 01.09.2006 से पी.बी.-2 रनिंग पे बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 3600/- तथा दिनांक 01.07.2013 से पी.बी.-2 रनिंग पे-बैण्ड 9300-34800 ग्रेड-पे 4200/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-11 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री	पदोन्नति की तिथि व अवधि	विशेष विवरण
1.	बालमुकुन्द आमेटा	01.04.2003 से 31.12.2003	31.12.2003 (सेवानिवृत्ति तक)
2.	सत्यनारायण डाड	01.04.2003 से 31.12.2003	31.12.2003 (सेवानिवृत्ति तक)
3.	रामावतार शर्मा	01.04.2003 से 30.11.2006	30.11.2006 (सेवानिवृत्ति तक)
4.	रामचन्द्र पुरोहित	01.04.2003 से 30.04.2007	30.04.2007 (सेवानिवृत्ति तक)
5.	राधेश्याम झंवर	01.04.2003 से 31.10.2009	31.10.2009 (सेवानिवृत्ति तक)
6.	शांतिलाल जैन	01.04.2003 से 30.06.2006	30.06.2006 (सेवानिवृत्ति तक)
7.	नवरतनमल	01.04.2003 से 31.12.2010	31.12.2010 (सेवानिवृत्ति तक)
8.	राधेश्याम जोशी	01.04.2003 से 30.06.2008	30.06.2008 (सेवानिवृत्ति तक)
9.	किशनलाल मीणा (एस.टी.)	18.04.2003 से लगातार	-
10.	राधेश्याम शर्मा पुत्र धुकल शर्मा	01.04.2004 से 31.05.2009	31.05.09 (सेवानिवृत्ति तक)
11.	विनोद कुमार गोयल	01.04.2004 से 31.03.2014	31.03.14 (सेवानिवृत्ति तक)
12.	मानसिंह राठौड़	01.07.2006 से 31.08.2011	31.08.11 (सेवानिवृत्ति तक)
13.	सत्यनारायण तोषनीवाल	01.12.2006 से 30.06.2013	30.06.13 (सेवानिवृत्ति तक)
14.	लादूलाल वैष्णव	01.05.2007 से 30.01.2013	30.01.13 (सेवानिवृत्ति तक)
15.	ओमप्रकाश झंवर	01.07.2008 से 31.10.2012	31.10.12 (सेवानिवृत्ति तक)
16.	कन्हैयालाल मेहर	01.06.2009 से 31.07.2010	31.07.10 (सेवानिवृत्ति तक)
17.	बंशीलाल शर्मा	30.07.2009 से 31.07.2013	31.07.13 (सेवानिवृत्ति तक)
18.	ओमप्रकाश मालू	01.11.2009 से 31.07.2013	31.07.13 (सेवानिवृत्ति तक)
19.	पुरुषोत्तम तिवाड़ी	06.05.2010 से 09.05.2011	09.05.11 (सेवानिवृत्ति तक)
20.	कैलाशचंद्र झांझरी	01.08.2010 से 30.06.2014	30.06.14 (सेवानिवृत्ति तक)
21.	मदनलाल कोली (एस.सी.)	02.01.2011 से 31.01.2019	31.01.19 (सेवानिवृत्ति तक)
22.	कैलाशचंद्र छीपा	01.09.2011 से 30.06.2018	30.06.18 (सेवानिवृत्ति तक)
23.	महेन्द्र कुमार माथुर	01.11.2012 से 31.05.2013	31.05.13 (सेवानिवृत्ति तक)
24.	राधेश्याम पारीक	01.02.2013 से 31.10.2015	31.10.15 (सेवानिवृत्ति तक)
25.	अमृत कुमार शर्मा	01.06.2013 से 31.08.2014	31.08.14 (सेवानिवृत्ति तक)

—कर्मचारी


26.	चन्द्रप्रकाश गोगिया	01.07.2013 से 31.05.2014	31.05.14 (सेवानिवृत्ति तक)
27.	उदयशंकर ओझा	30.07.2013 से 31.08.2016	31.08.16 (सेवानिवृत्ति तक)
28.	माणक चंद कोठारी	01.08.2013 से लगातार	-
29.	रतन लाल पुरोहित	01.08.2013 से 30.11.2020	30.11.20 (सेवानिवृत्ति तक)
30.	चेतन प्रकाश त्रिवेदी	01.04.2014 से 14.03.2019	14.03.19 (सेवानिवृत्ति तक)
31.	हरिशंकर गुर्जर	01.06.2014 से 31.05.2015	31.05.15 (सेवानिवृत्ति तक)
32.	कैलाशचंद्र सामरिया	01.07.2014 से 29.02.2016	29.02.16 (सेवानिवृत्ति तक)
33.	राजेन्द्र कुमार जोशी	01.09.2014 से 31.12.2020	31.12.20 (सेवानिवृत्ति तक)
34.	अब्दुल अजीज खान	01.11.2015 से 31.07.2018	31.07.18 (सेवानिवृत्ति तक)
35.	उमाकांत उपाध्याय	01.03.2016 से लगातार	-
36.	शंकर सिंह चौहान	01.09.2016 से 31.10.2018	31.10.18 (सेवानिवृत्ति तक)
37.	राजेन्द्र प्रसाद जोशी	02.11.2017 से 31.01.2020	31.01.20 (सेवानिवृत्ति तक)
38.	शांतिलाल खटीक (एस.सी.)	02.11.2017 से लगातार	-
39.	मोहम्मद नसीम छीपा	02.11.2017 से 31.12.2019	31.12.19 (सेवानिवृत्ति तक)
40.	नरेन्द्र कुमार सोमानी	02.11.2017 से 31.01.2018	31.01.18 (सेवानिवृत्ति तक)
41.	धर्मसिंह मीणा (एस.टी.)	02.11.2017 से लगातार	-
42.	अनिल कुमार नुवाल	02.11.2017 से 31.01.2020	31.01.20 (सेवानिवृत्ति तक)
43.	उदयलाल वैष्णव	02.11.2017 से लगातार	-
44.	कैलाश चन्द्र शर्मा	01.04.2018 से लगातार	-
45.	प्रकाश चन्द्र आसनानी	01.07.2018 से लगातार	-
46.	सुनील कुमार शर्मा	01.08.2018 से लगातार	-
47.	रामस्वरूप धोबी (एस.सी.)	06.08.2018 से लगातार	-
48.	अमित कुमार टेलर	06.08.2018 से लगातार	-
49.	शरीफ खान पठान	01.11.2018 से लगातार	-
50.	लेहरू शंकर रेगर (एस.सी.)	01.02.2019 से लगातार	-
51.	गोपाल जोशी	15.03.2019 से लगातार	-
52.	हरिप्रकाश शर्मा	01.11.2019 से लगातार	-
53.	राजेन्द्र प्रसाद कोठारी	01.11.2019 से लगातार	-
54.	भूपेन्द्र सिंह राजपूत	01.01.2020 से लगातार	-
55.	सीमा जैन	01.02.2020 से लगातार	-
56.	नसरुद्दीन	01.02.2020 से लगातार	-

नोट :-

- सम्बंधित न्यायालय द्वारा उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में करते हुए नियमानुसार वेतन नियतन किया जावे।
- सेवानिवृत्त/निधन हो चुके कर्मचारीगण के एरियर की राशि का भुगतान नगद रूप में उनके अंतिम पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
- वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण को पदोन्नति दिनांक से 02.09.2016 तक की एरियर की राशि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार उनके जी.पी.एफ. खाते में जमा की जावेगी तथा दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नवीन पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारीगण को उनकी एरियर की राशि का भुगतान नियमानुसार एन.पी.एस की कटौती करते हुए नगद रूप में उनके पदस्थापन वाले न्यायालय में किया जावेगा।
- उक्त समस्त पदोन्नतियां शेट्टी आयोग की सिफारिश की अनुपालना में दिनांक 01.04.2003 से भूतलक्षी प्रभाव से एक तिथि विशेष को की गई है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि/भूल पाए जाने एवं राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
- वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जाएंगे, तब तक समस्त कर्मचारीगण अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे। इस आदेश से पदावनत हो जाने वाले कर्मचारीगण का पदस्थापन आगामी आदेश तक वर्तमान पद पर ही रहेगा।
- उक्त आदेशों के अधधीन यदि किसी कर्मचारी को राशि का अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे वापिस राज्यकोष में जमा कराने हेतु कर्मचारी को वचन पत्र देना होगा।

15/12/2021

07. यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त आदेशानुसार पदावनत होता है तो उसके द्वारा आहरित की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।
08. रीडर ग्रेड प्रथम/शेरिस्तेदार ग्रेड प्रथम के पद समान है जिन पर कर्मचारीगण का पारस्परिक स्थानांतरण किया जा सकेगा।
09. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के कारण पहले से ही वे स्वीकृत किये गए नवीन पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका पातेय वेतन कम नहीं किया जावेगा।
10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित प्रकरण संख्या एस.बी..सिविल रिट पीटीशन नंबर 18837/2019 एवं एस.बी..सिविल रिट पीटीशन नंबर 5163/2020 में पारित आदेश के अधीन उक्त पदोन्नति/वरिष्ठता/वरियता रहेगी।


  
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
 भीलवाड़ा

क्रमांक: स्था/2021/..... 2594

दिनांक : 19/2/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 2- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

  
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
 भीलवाड़ा 19/2/21